राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1087/2011

हरकेश कोली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. निदेशक, सोशियल ऑडिट, जयपुर।
3. मुख्य अधिशाषी अधिकारी सह जिला परिषद, अति. जिला परियोजना संयोजक, मनरेगा, जिला सवाईमाधोपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत, बामनवास में जुनियर टेक्निकल अंसिसटेंट के पद पर कार्यरत था। मनरेगा योजना के तहत बामनवास, पट्टी खुर्द पंचायत समिति बामनवास में निर्माण कार्य करवाया गया, जिस कार्य का भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया गया। स्पेशल ऑडिट टीम ने मनरेगा योजना के तहत कराये गये कार्य का ऑडिट किया। ऑडिट टीम द्वारा निर्माण किये जाने के समय एवं बाद में रिपॉर्ट प्रस्तुत किये जाने के समय अपीलार्थी से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। निर्माण कार्य के पुरा होने के 2 से 3 वर्ष बाद करावाई गई एवं जांच रिपोर्ट की प्रति भी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। ऑडिट टीम द्वारा जांच करने के उपरांत अपीलार्थी से 133500/– रुपये की वसुली किये जाने का आदेश दिनांक 20.07.2011 पारित किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी से गलत प्रकार से रिकवरी की जा रही है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 20.07.2011 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई और अपीलार्थी से जवाब भी नहीं मांगा गया। ऐसे में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी से वसुली किया जाना उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द में 01.4.2008 से 31.03.2011 तक हुए निर्माण कार्यो की विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण की सम्पुर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में ही सम्पन्न हुई है इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि नेचूरल जस्टिस का पालन किया गया पुर्णतया गलत और कपोलकल्पित है। कानून किसी भी कार्मिक को पदीय अनियमितता और पदीय दुरूपयोग की इजाजत नहीं देता है। अपीलार्थी ने पदीय दुरूपयोग कर राज्य के राजकोष को वित्तिय क्षति पहुंचाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की घोर अवहेलना कर अनियमितताएं कारित किये जाने के कारण विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट आधार पर प्रस्तावित वसुली के संबंध मे दिनांक 20.07.2011 को वसुली नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाब के पारित किया गया है जो पुर्णतया विधिक होने से तथा अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित और पोषणनीय नहीं, होने से मय कोस्ट मय स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है। वास्तवितकता मे ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी खुर्द मे 01.4.2008 से 31.03.2011 तक हुए निर्माण कार्यो की विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में ही सम्पन्न हुई है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया।
5. अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थायन राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।
6. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का

अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अंकेक्षण की संपूर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रत्यर्थी विभाग का तर्क भी माने तो केवलमात्र अपीलार्थी की उपस्थिति से अंकेक्षण की कार्यवाही होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

8. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)